मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, भोपाल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 13-5-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त 2008—श्रावण 21, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2008

क्र. 5311-267-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 अगस्त 2008 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २००८.

इन्दौर स्पेशल इकानॉमिक झोन (स्पेशल प्रोविजन्स) संशोधन अधिनियम, २००८.

विषय-सूची.

धाराएं:

१. संक्षिप्त नाम.
२. [illegible]
३. [illegible]
४. धारा २ का संशोधन.
५. धारा ३ का संशोधन.
६. धारा १३ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २००८.

इन्दौर स्पेशल इकॉनामिक झोन (स्पेशल प्रोविजन्स) संशोधन अधिनियम, २००८.

[दिनांक ८ अगस्त, २००८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १२ अगस्त, २००८ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

इन्दौर स्पेशल इकॉनामिक झोन (स्पेशल प्रोविजन्स) अधिनियम, २००३ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इन्दौर स्पेशल इकॉनामिक झोन (स्पेशल प्रोविजन्स) संशोधन अधिनियम, २००८ है.

संक्षिप्त नाम का संशोधन. २. इन्दौर स्पेशल इकॉनामिक झोन (स्पेशल प्रोविजन्स) अधिनियम, २००३ (क्रमांक २३ सन् २००३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के शीर्षक में, शब्द "इन्दौर स्पेशल इकॉनामिक झोन" के स्थान पर, शब्द "मध्यप्रदेश स्पेशल इकॉनामिक झोन्स" स्थापित किए जाएं.

मूल, शीर्ष का संशोधन. ३. मूल अधिनियम के वृहद् शीर्ष में, शब्द "इन्दौर विशेष आर्थिक परिक्षेत्र" के स्थान पर, शब्द "विशेष आर्थिक परिक्षेत्र" स्थापित किए जाएं.

धारा १ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा १ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "इन्दौर स्पेशल इकॉनामिक झोन" के स्थान पर, शब्द "मध्यप्रदेश स्पेशल इकॉनामिक झोन्स" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "इन्दौर विशेष आर्थिक परिक्षेत्र" के स्थान पर, शब्द "सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य" स्थापित किए जाएं.

धारा २ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित नवीन खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग) "सह विकासकर्ता" का वही अर्थ होगा, जो स्पेशल इकॉनामिक झोन्स एक्ट, २००५ (२००५ का २८) में उसके लिए दिया गया है;";

(दो) खण्ड (ङ), (च) और (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित नवीन खण्ड क्रमशः स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(ङ) "विकास आयुक्त" से अभिप्रेत है, स्पेशल इकॉनामिक झोन्स एक्ट, २००५ (२००५ का २८) की धारा ११ की उपधारा (१) के अधीन एक या अधिक विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के लिए नियुक्त किया गया विकास आयुक्त;

(च) "विकासकर्ता" का वही अर्थ होगा जो स्पेशल इकॉनामिक झोन्स एक्ट, २००५ (२००५ का २८) में उसके लिए दिया गया है;

(ड) "घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डोमेस्टिक टैरिफ एरिया)" का वही अर्थ होगा जो स्पेशल इकॉनामिक ज़ोन्स एक्ट, २००५ (२००५ का २८) में उसके लिए दिया गया है;";

(तीन) खण्ड (ड) में, शब्द "इन्दौर" का लोप किया जाए.

६. मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:— धारा १३ का संशोधन.

"स्पष्टीकरण.—(१) "निर्यात किया गया माल" से अभिप्रेत है—

(एक) भूमि, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किसी परिक्षेत्र से भारत के बाहर निर्यात किया गया माल; या

(दो) घरेलू टैरिफ क्षेत्र से परिक्षेत्र में किसी इकाई को प्रदाय किया गया माल; या

(तीन) किसी परिक्षेत्र की इकाई द्वारा उसी परिक्षेत्र की किसी अन्य इकाई को या किसी अन्य परिक्षेत्र को प्रदाय किया गया माल;

(२) "आयात किया गया माल" से अभिप्रेत है—

(एक) परिक्षेत्र की इकाई द्वारा भूमि, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा, भारत के बाहर से लाया गया माल; या

(दो) परिक्षेत्र की इकाई द्वारा उसी परिक्षेत्र या किसी अन्य परिक्षेत्र की इकाई से लाया गया माल.".

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2008

क्र. 5132-767-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, "इन्दौर स्पेशल इकॉनामिक ज़ोन (स्पेशल प्रोविजन्स) संशोधन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 20 सन् 2008)" का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश [illegible], उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 of 2008

THE INDORE SPECIAL ECONOMIC ZONE (SPECIAL PROVISIONS) AMENDMENT ACT, 2008

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of citation.
3. Amendment of long title.
4. Amendment of Section 1.
5. Amendment of Section 2.
6. Amendment of Section 13.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 of 2008

THE INDORE SPECIAL ECONOMIC ZONE (SPECIAL PROVISIONS) AMENDMENT ACT, 2008

[Received the assent of the Governor on the 8th August, 2008; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th August, 2008.]

An Act to amend the Indore Special Economic Zone (Special Provisions) Act, 2003.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-ninth year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Indore Special Economic Zone (Special Provisions) Amendment Act, 2008.

Amendment of citation. 2. In the citation of the Indore Special Economic Zone (Special Provisions) Act, 2003 (No. 23 of 2003) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "Indore Special Economic Zone", the words "Madhya Pradesh Special Economic Zones" shall be substituted.

Amendment of long title. 3. In the long title of the principal Act, for the words "Indore Special Economic Zone", the words "Special Economic Zones" shall be substituted.

Amendment of Section 1. 4. In section 1 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), for the words "Indore Special Economic Zone", the words "Madhya Pradesh Special Economic Zones" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the words "Indore Special Economic Zone", the words "whole of the State of Madhya Pradesh" shall be substituted.

Amendment of Section 2. 5. In Section 2 of the principal Act,—

(i) for clause (c), the following new clause shall be substituted, namely :—

"(c) "Co-Developer" shall have the same meaning as assigned to it in the Special Economic Zones Act, 2005 (No. 28 of 2005);";

(ii) for clauses (e), (f) and (g), the following new clauses shall respectively be substituted, namely :—

"(e) "Development Commissioner" means the Development Commissioner appointed for one or more Special Economic Zones under sub-section (1) of Section 11 of the Special Economic Zones Acts, 2005 (No. 28 of 2005);

(f) "Developer" shall have the same meaning as assigned to it in the Special Economic Zones Act, 2005 (No. 28 of 2005);

(g) "Domestic Tariff Area" shall have the same meaning as assigned to it in the Special Economic Zones Act, 2005 (No. 28 of 2005);";

(iii) in clause (m), the word "Indore" shall be omitted.

Amendment of Section 13. 6. After sub-section (1) of Section 13 of the principal Act, the following explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation.—(1) "goods exported" shall mean —

(i) goods taken out from any Zone by land, sea or air and exported out of India; or

(ii) goods supplied from Domestic Tariff Area to any unit in the Zone; or

(iii) goods supplied by a unit in a Zone to another unit of the same Zone or any other Zone.

(2) "goods imported" shall mean—

(i) goods brought from out of India by a unit in a Zone by land, sea or air; or

(ii) goods brought by a unit in a Zone from another unit in the same or any other Zone.".

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.